(119)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1397–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–4–17 पारित द्वारा तहसीलदार, सीतामऊ जिला मंदसौर प्रकरण कमांक 42/अ–6/2013–14.

1– जमीरूल्लाह पिता जहुरउल्लाह काजी
2– अनवारूल्लाह पिता जहुरउल्लाह काजी
3– दिलबर पिता जहुरउल्लाह काजी
निवासीगण काजीवाड़ा घाटी सीतामऊ
जिला मंदसौर ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– जहुरउल्लाह पिता नुरउल्लाह काजी
2– शहर काजी खलीलउल्लाह पिता नसरूल्लाह काजी
निवासीगण काजीवाड़ा घाटी सीतामऊ
जिला मंदसौर
3– म0प्र0 शासन ....अनावेदकगण

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सीतामऊ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–4–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा कस्बा सीतामऊ स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 1260/758 में से रकबा 0.459 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 758 में से रकबा 1.286 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 759 में से रकबा 4.113 हेक्टेयर कुल रकबा 5.858 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 1 जहुरउल्लाह से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर नामान्तरण हेतु संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार, सीतामऊ जिला मंदसौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–6/2013–14 दर्ज कर दिनांक 11–4–17 को आदेश पारित कर सभी सह

भूमिस्वामियों को सूचना दिये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नामान्तरण की प्रक्रिया संक्षिप्त होती है और नामांतरण के प्रकरण में राजस्व अभिलेख को अद्यतन रखना होता है । पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय को यह देखना होता है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रेता के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है अथवा नहीं और भूमि का विधिवत विक्रय हुआ है या नहीं । इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं देकर आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(2) आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण चाहा गया था, जिसमें आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 1 को कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण में यदि आपत्तिकर्ता को स्वत्व के संबंध में आपत्ति है तो उसे अपने स्वत्व के लिए सिविल न्यायालय में पृथक से कार्यवाही करना चाहिए ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस न्याय दृष्टान्त का आधार लेकर आदेश पारित किया है, वह उक्त प्रकरण में लागू नहीं होता है ।

(4) अनावेदक क्रमांक 2 प्रकरण में लंबायमान करना चाहता है, इसलिए वह सिविल न्यायालय का असत्य सहारा लेकर आवेदन पत्र पूर्व में भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया और राजस्व मण्डल द्वारा भी आपत्तिकर्ता (अनावेदक क्रमांक 2) की निगरानी निरस्त की गई है ।

(5) पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण करने का तहसील न्यायालय को पूर्ण अधिकार है । यदि आपत्तिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति की जाती है, तब आपत्तिकर्ता को पृथक से सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने का आदेश देते हुए तहसील न्यायालय को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण करना चाहिए था । नामांतरण नियमावली में यह प्रावधान नहीं है कि नामांतरण प्रकरण में अन्य सह भूमिस्वामियों को सूचना पत्र जारी किया जाये, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण नियमों के विपरीत सह कृषकों को सूचना

दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो नामांतरण नियमों के विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि में सभी सह कृषकों के मध्य पूर्व में बटवारा हो चुका था और बटवारा अनुसार सभी सह कृषक अपनी–अपनी भूमियों पर काबिज थे, इसलिए अनावेदक कमांक 2 का कतई अधिकार नहीं था, इस तथ्य की ओर बिना ध्यान दिये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा न्याय दृष्टान्त का उल्लेख करते हुए प्रश्नाधीन भूमि के सभी सहभूमिस्वामियों को सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा जिन सर्वे नम्बरों पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण चाहा गया है, उक्त भूमियां संयुक्त खाते की होकर, उसमें सहखातेदार भी हैं । अतः तहसीलदार द्वारा नामान्तरण नियमों के नियम 27 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश पूर्णतः विधिसंगत है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि के सभी सहखातेदारों को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार के आदेश को निगरानी में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सीतामऊ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–4–17 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर